

टी0ए0 मिस केस सं0 50/2019-20

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

03<sup>10</sup>/<sub>19</sub>

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक जन्डोय देवगम, पिता- स्व० नाथनियल देवगम, निवासी ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०- 125 के अन्दर खाता नं०- 132, प्लॉट नं०- 468, रकवा- 05 डी० 626 वर्गकड़ी भूमि क्रेता चन्द्रमोहन बोयपाई, पिता- मुकरू बोयपाई, ग्राम- धाधरी, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता एवं अन्य के नाम पर खातियान दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 661 दिनांक- 8.09.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता चन्द्रमोहन बोयपाई, पिता- मुकरू बोयपाई, ग्राम- धाधरी, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास 1,90,000.00/- (एक लाख नब्बे हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में जन्डोए देवगम, पिता- स्व० नाथनियल देवगम, निवासी ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफसिल, क्रेता चन्द्रमोहन बोयपाई, पिता- मुकरू बोयपाई, ग्राम- धाधरी, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 1,90,000.00/- (एक लाख नब्बे हजार) में मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०- 125 के अन्दर खाता नं०- 132, प्लॉट नं०- 468, रकवा- 05 डी० 626 वर्गकड़ी जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की .....अनुमति..... दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।